तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
18/11/20	[illegible] अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त [illegible] अवकाश पर है। अतः पेशी स्थगित होकर पत्रावली दिनांक 01/2/21 को पेश हो। रीडर उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट सोजत
1/1/21	अधिवक्ता वादी उ0। ~~अधिवक्ता वादी प्रतिवादी की पुनः सही व वास्तविक पते से तमवी (3) तमवाना/पेशी सम्मन पत्र करे।~~
01/02/21	अधिवक्ता प्रार्थी उ0 अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 R.T. Act 1955 को NOT- Press किया है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को NOT- Press करने से उक्त प्रार्थना पत्र को जरिये NOT- Press खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार रजिस्टर नम्बर से कर के बाद तकमिल जरूरी वाकेल पक्षकार/लेखपाल अलग जमा हो। उप खण्ड अधिकारी सोजत (जिला-पाली) राज	

Not Press